

6

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/एल-182/2026- /स्वा०, पटना, दिनांक / / 2026

डा० स्वेता सिन्हा, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (ई०एन०टी०), सदर अस्पताल, बिहारशरीफ, नालन्दा के द्वारा द्वितीय संतान के प्रसव हेतु दिनांक-04.07.2026 से 30.12.2026 तक कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिन का उपभोगित/उपभोग की जानेवाली अवकाश अवधि को वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में मातृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. प्रस्ताव एवं प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/एल-182/2026- 22/12/25 पटना, दिनांक 22/12 / 2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नालन्दा/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, बिहारशरीफ, नालन्दा/कोषागार पदाधिकारी, नालन्दा/डा० स्वेता सिन्हा, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (ई०एन०टी०), सदर अस्पताल, बिहारशरीफ, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Wamank 21/12/26
सरकार के उप सचिव
2